रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च,2017

सं. 26/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 323(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रानिक इंटिग्रेटेड घोषणा) रेग्यूलेशन, 2011 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का नाम बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रानिक इंटिग्रेटेड घोषणा) संशोधन रेग्यूलेशन, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रानिक इंटिग्रेटेड घोषणा) रेग्यूलेशन, 2011, में विनियम 4,के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"विनियम 4(i) प्राधिकृत व्यक्ति, उस दिन जब वस्तुओं को ले जाने वाला हवाई जहाज अथवा वैसल अथवा व्हीकल उस कस्टम स्टेशन पर पहुंचता है जिस पर ऐसी वस्तुओं की घरेलू उपभोग अथवा वेयरहाउसिंग के लिए निकासी की जानी है, से अगले दिन के अंत से पूर्व (अवकाश वाले दिन को छोड़कर) बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करेगा।

(2) बिल ऑफ एंट्री को भरा हुआ मान लिया जाएगा और पूरी की गई ड्यूटी का स्व-निर्धारण मान लिया जाएगा जब, आईसगेट अथवा सेवा केंद्र के माध्यम से डेटा एंट्री के द्वारा इंडियन कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम में इलेक्ट्रानिक समेकित घोषणा की एंट्री के

पश्चात, उक्त घोषणा के संबंध में भारतीय कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज प्रणाली द्वारा एक बिल ऑफ एंट्री संख्या जेनरेट कर दी जाती है।

(3) जहां कहीं बिल ऑफ एंट्री उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे तो आयातक बिल ऑफ एंट्री के देर से प्रस्तुत किए जाने के लिए आरंभ के 3 दिन की चूक के लिए 5 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से और इसके पश्चात चूक के लिए 10 हजार रुपए प्रतिदिन के दर से प्रभार अदा करने का दायी होगा :

बशर्ते कि यहां कहीं समुचित अधिकारी विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित प्रभार को माफ कर सकता है।

(4) ऐसे मामलों में बिल ऑफ एंट्री के देरी से प्रस्तुत किए जाने में कोई भी प्रभार अदा नहीं किया जाना होगा,जहां एंट्री इनवार्ड, वित्त विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व हो चुका है।"

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

शैफाली जी. सिंह, अवर सचिव

नोट : प्रधान विनियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838 (अ) दिनांक 25 नवंबर, 2011 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इनमें अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

[CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS]

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

No. 26/2017-Customs (N.T.)

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 46 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Bill of Entry(Electronic Integrated Declaration) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration) Amendment Regulations, 2017.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bill of Entry(Electronic Integrated Declaration) Regulations,2011, the following regulation, regulation 4, shall be substituted, namely:-

   "Regulation 4. (1) The authorised person shall file the bill of entry before the end of the next day following the day (excluding holidays) on which the aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at a customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing.

   (2) The bill of entry shall be deemed to have been filed and self-assessment of duty completed when, after entry of the electronic integrated declaration in the Indian Customs Electronic Data Interchange System either through ICEGATE or by way of data entry through the service centre, a bill of entry number is generated by the Indian Customs Electronic Data Interchange System for the said declaration.

   (3) Where the bill of entry is not filed within the time specified in sub-regulation (1) and the proper officer of Customs is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall be liable to pay charges for late presentation of the bill of entry at the rate of rupees five thousand per day

for the initial three days of default and at the rate of rupees ten thousand per day for each day of default thereafter:

Provided that where the proper officer is satisfied with the reasons of delay, he may waive off the charges referred to in the second proviso to sub-section (3) of section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(4) No charges for late presentation of Bill of Entry shall be liable to be paid where the entry inwards or arrival of cargo, as the case may be, has taken place before the date on which the Finance Bill, 2017 receives the assent of the President."

[F.No.450/32/2016-Cus IV]

SHAIFALI G. SINGH, Under Secy.

Note : The Principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number G.S.R.838(E), dated the 25th November,2011 and last amended vide notification number 45/2016- Cus(N.T.) dated 01.04.2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च,2017

सं. 27/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.324(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) रेग्यूलेशन, 1976 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का नाम बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) संशोधन रेग्यूलेशन, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बिल ऑफ एंट्री (फार्म्स) रेग्यूलेशन, 1976 में विनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

*"**विनियम 4(1)** आयातक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके पास कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2013, के अंतर्गत वैध लाइसेंस है, उस दिन जब वस्तुओं को ले जाने वाला हवाई जहाज अथवा वैसल अथवा व्हीकल उस कस्टम स्टेशन पर पहुंचता है जिस पर ऐसी वस्तुओं की घरेलू उपभोग अथवा वेयरहाउसिंग के लिए निकासी की जानी है, से अगले दिन के अंत से पूर्व (अवकाश वाले दिन को छोड़कर) बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करेगा।*

(2) जहां कहीं बिल ऑफ एंट्री उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे तो आयातक बिल ऑफ एंट्री के देर से प्रस्तुत किए जाने के लिए आरंभ के 3 दिन की चूक के लिए 5 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से और इसके पश्चात चूक के लिए 10 हजार रुपए प्रतिदिन के दर से प्रभार अदा करने का दायी होगा:

बशर्ते कि यहां कहीं समुचित अधिकारी विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित प्रभार को माफ कर सकता है।

(3) ऐसे मामलों में बिल ऑफ एंट्री के देरी से प्रस्तुत किए जाने में कोई भी प्रभार अदा नहीं किया जाना होगा,जहां एंट्री इनवार्ड, वित्त विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व हो चुका है।"

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

शैफाली जी. सिंह, अवर सचिव

नोट : प्रधान विनियम को अधिसूचना सं. 396-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 1 अगस्त, 1976 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना सं. 03/88-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 14 जनवरी, 1988 के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया था, अपितु बाद में अधिसूचना सं. 77/89 दिनांक 27 दिसंबर 1989 के अंतर्गत इसकी पुन: बहाली की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

No. 27/2017-Customs (N.T.)

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 46 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Bill of Entry(Forms) Regulations, 1976, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bill of Entry (Forms) Amendment Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bill of Entry(Forms) Regulations,1976, after regulation 3,the following regulation shall be inserted, namely;

   "Regulation 4. (1) *The importer or a person authorised by him who has a valid licence under the Customs Broker Licensing Regulations, 2013, shall present the bill of entry before the end of the next day following the day (excluding holidays) on which the aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at a customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing.*

   (2) Where the bill of entry is not presented within the time specified in sub-regulation (1) and the proper officer of Customs is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall be liable to pay charges for late presentation of the bill of entry at the rate of rupees five thousand per day for the initial three days of default and at the rate of rupees ten thousand per day for each day of default thereafter:_

   Provided that where the proper officer is satisfied with the reasons of delay, he may waive off the charges referred to in the second proviso to sub-section (3) of the section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

   (3) No charges for late presentation of Bill of Entry shall be liable to be paid where the entry inwards or arrival of cargo, as the case may be, has taken place before the date on which the Finance Bill, 2017 receives the assent of the President."

[F.No.450/32/2016-Cus IV]

SHAIFALI G. SINGH, Under Secy.

Note : The principal regulation was published vide notification number 396-Cus(N.T.) dated 1st August, 1976, superceded by notification number 03/88-Cus(N.T.) dated 14th January,1988 but then restored by notification number 77/89 dated 27th December,1989.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.03 16:09:58 +05'30'